GST UPDATE- SUMMARY OF THE CIRCULARS ISSUED ON 11.10.2019 IN HINDI

CBIC ने 113/ 2019 से लेकर 121/ 2019 तक सर्कुलर जारी किए हैं हम आपको इनके बारे में संक्षिप्त में बताने जा रहे हैं

1. **सर्कुलर नंबर 113/2019-**
    - फलीदार पौधों जैसे चना इत्यादि को अगर हम थोड़ा सा गर्म करते हैं तथा उसमें किसी प्रकार का प्रोसेस अथवा नमक तथा तेल इत्यादि नहीं मिलाते हैं तो यह 0703 में वर्गीकृत होगा. इस प्रोसेस से उसका मूल रूप परिवर्तित नहीं होता है. अगर इसमें तेल या नमक मिलाकर उसे नमकीन बनाया जाता है तो वह "अन्य खाद्य पदार्थों" की श्रेणी में आ जाएगा
    - बदाम दूध भी 2202 9990 में classify होगा तथा इस पर 18% जीएसटी देय होगा
    - मेकेनिकल स्प्रे पर 18% जीएसटी की दर 6/ 2018 से निर्धारित की गई थी. मेकेनिकल spray में सभी प्रकार हाथ से चलने वाले स्प्रे, पावर से चलने वाले स्प्रे, बैटरी से चलने वाले से spray आदि (जैसे कि लोहे के हैंडीक्राफ्ट की फैक्ट्री में पेंट करने के लिए काम में आते हैं) इसी में वर्गीकृत होंगे
    - सोलर पावर हीटर और सिस्टम पर 5% जीएसटी लगता है इसके पार्ट में आने वाले solar evacuated tube पर भी 5% जीएसटी देय होगा
    - नेवी द्वारा काम में आने वाले आयातित स्टोर पर भी nil जीएसटी लगेगा
    - 9018,9021 तथा 9022 में आने वाले मेडिकल डिवाइसेज के पूर्जों तथा parts पर 12% जीएसटी देय होगा.
2. **सर्कुलर नंबर 114/2019-** इस सर्कुलर द्वारा पेट्रोलियम पदार्थो या गैस के एक्सप्लोरेशन, माइनिंग तथा ड्रिलिंग में काम आने वाली सर्विसेस के वर्गीकरण के संबंध में बताया गया है.
3. **सर्कुलर नंबर 115/2019**- इस सर्कुलर में एयरपोर्ट पर लगने वाले पैसेंजर सर्विस फीस तथा यूजर डिवेलपमेंट फीस के billing के बारे में विस्तार से समझाया गया है. इस बारे में हमने एक अपडेट आपको अलग से भेजा है
4. **सर्कुलर नंबर 116/2019**- इसके माध्यम से यह स्पष्ट किया गया कि अगर आप कहीं पर जैसे मंदिर में दान देते हुए अपना सिर्फ नाम ही लिखा है तो जीएसटी नहीं लगेगा. जीएसटी तभी लगेगा अगर आपने नाम के साथ बिजनेस का नाम भी लिखवाया है.
5. **सर्कुलर नंबर 117/2019-** इस सर्कुलर के माध्यम से यह बताया गया है कि मैरिटाइम ट्रेंनिंग इंस्टीट्यूट और उसके द्वारा संचालित ट्रेनिंग कोर्स डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग से मान्यता प्राप्त हैं अतः इस पर जीएसटी नोटिफिकेशन 12/2017 के तहत सीरियल नंबर 66 के माध्यम से नहीं लगेगा.
6. **सर्कुलर नंबर 118/2019**- इस सर्कुलर के माध्यम से यह बताया गया है कि sample prototype hardware से सप्लायर, जोकि टैक्सेबल टेरिटरी में है,ने सर्विस लेने वाले जो कि non taxable territory में है, कोई सॉफ्टवेयर तथा उसके टेस्टिंग की सर्विस दोनों देता है तो यह composite सर्विस होगी तथा प्लेस आफ सप्लाई आईजीएसटी की धारा 13 (2)के तहत निर्धारित होगा ना कि 13(3)(a) तहत इसका निर्धारण होगा.
7. **सर्कुलर नंबर 119/2019**- अभी दिनांक 11/10/2019 से सिक्योरिटी लैंडिंग सर्विस पर रिवर्स चार्ज पर जीएसटी लगाया गया है तथा इस सर्कुलर के माध्यम से उसी के बारे में बताया गया है

8. **सर्कुलर नंबर 121/2019**- शराब के लाइसेंस की फीस पर गवर्नमेंट ने सर्विस टैक्स retrospective date से खत्म कर दिया था. अब जीएसटी में भी यह छूट दे दी गई है तथा यह बताया गया है कि यह ना तो सप्लाई आफ गुड्स है ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज है.

You can reach us at www.capradeepjain.com, at our facebook page on https://www.facebook.com/GSTTODAYBYPRADEEPJAIN/ as well as follow us on twitter at https://www.twitter.com/@capradeepjain21